स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्याः 264, दिनांक–01–09–2024

जनपद प्रतापगढ़ के थाना लीलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2024 में वांछित एवं रू0 1,00,000–1,00,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण पिता व पुत्र गिरफ्तार।

दिनांक–01–09–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को जनपद प्रतापगढ़ के थाना लीलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–204/2024 धारा–147/148/149/302/323/307/325/286/506/34/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित एवं रू0 1,00,000–1,00,000 **के** पुरस्कार घोषित अभियुक्त अब्दुल मजीद व सुहेल को जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>ः–

1. अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल हमीद निवासीग्राम हरिहरपुर सिंधौर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़
2. सुहेल पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ मुन्नू निवासीग्राम हरिहरपुर सिंधौर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u> :–

1. 02 अदद मोबाइल
2. 770 रूपये नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u> :–

लीलापुर तिराहा से कमोरा की तरफ जाने वाली रोड पर 100 मीटर आगे थानाक्षेत्र लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, दिनांक–01–09–2024 समय–21.45 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय के हमराह निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण हबीब सिद्दीकी, प्रभन्जन पाण्डेय, विकास तिवारी व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही में भ्रमणशील थी कि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–204/2024 धारा–147/148/149/302/323/307/325/286/506/34/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित एवं रू0 1,00,000–1,00,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण अब्दुल मजीद व उसके पुत्र सुहेल उपरोक्त की प्रतापगढ़ में मौजूद होने की मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा लीलापुर तिराहा से कमोरा की तरफ जाने वाली रोड पर 100 मीटर आगे थानाक्षेत्र लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पर पहुँचकर उपरोक्त अभियुक्तों को समय– 21.45 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तगण अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल हमीद एवं सुहेल पुत्र अब्दुल मजीद उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक–19–05–2024 को प्रातः 08.30 बजे मेरे पड़ोसी रज्जाक खेत की जुताई ट्रैक्टर से कर रहा था तभी हम लोग खेत में आकर जुताई करने से मना करने लगे, परन्तु वह नहीं माना तो शहरूख खान द्वारा कट्टे से रज्जाक उपरोक्त के कनपटी पर गोली मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री शाहरूख पुत्र मृतक अब्दुल रज्जाक द्वारा हम लोगों के विरूद्ध थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0–204/2024 धारा–147/148/149/302/323/307/325/286/506/34/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। हम लोगों को जानकारी हुई कि जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें पुरस्कार घोषित हो चुका है, जिसमें गिरफ्तारी से डर से लुक–छिप कर स्थान बदल–बदल कर रह रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण अब्दुल मजीद एवं सुहेल उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0–204/2024 धारा–147/148/149/302/323/307/325/286/506/34/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।